

समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

(जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा)

कार्यालय आदेश

वित्तीय वर्ष 2014-15 में गैर योजना मुख्यशीर्ष 2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष -02 बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष -101 अनुग्रहिक राहत, उप शीर्ष -0005 आग लगने से राहत कार्य के लिए नगद अनुदान, विपत्र कोड-N2245021010005 मांग सं0- 39, युनिट कोड-31-06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद के अन्तर्गत अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्र सं0 1320 दिनांक 11.04.2014 एवं पत्रांक 01 दिनांक 28.04.2014 द्वारा प्राप्ता कुल मो0-20,00,000.00 (बीस लाख)रुपये के आवंटन को इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 119 दिनांक 21.05.2014 द्वारा सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण को उपावटित किया गया।

कोषागार पदाधिकारी, मोतिहारी के पत्रांक 2951 दिनांक 29.11.2014 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार किसी भी अनुमण्डल पदाधिकारी/अंचल अधिकारी द्वारा इस उपावटित राशि की निकासी नहीं की गई।

इस कार्यालय के ज्ञापांक 119 दिनांक 21.05.2014 द्वारा उपावटित राशि को वापस लेते हुए निम्नानुसार संबंधित अंचलाधिकारियों को उनकी अधियाचना एवं उपलब्ध राशि के अनुसार उनके नाम के सामने अंकित राशि उपावटित की जाती है तथा निदेश है कि उपावटित राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद में करेंगे, जिस मद में राशि उपावटित है।

किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। उपावटित राशि की निकासी यथा संभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय तथा अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 विपत्र महालेखाकार कार्यालय, भेजते हुए उसकी प्रति, उपयोगिता प्रमाण-पत्र आपदा प्रबंधन प्रशाखा को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 वि0(2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।


यदि आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 28.02.2015 तक निश्चित रूप से कर दे अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

क्र0सं0	अंचल का नाम	पूर्व उपावटन	वर्तमान उपावटन	कुल उपावटन
1	2	3	4	5
01	अंचलाधिकारी चकिया	शून्य	2,10,000.00	2,10,000.00
02	" मेहसी	शून्य	50,400.00	50,400.00
03	" तुरकौलिया	शून्य	1,50,000.00	1,50,000.00
04	" सुगौली	शून्य	1,70,000.00	1,70,000.00
05	" चिरैया	शून्य	2,20,000.00	2,20,000.00
06	" बनकटवा	शून्य	1,30,200.00	1,30,200.00
07	" पताही	शून्य	1,86,004.00	1,86,004.00
08	" मोतिहारी	शून्य	1,41,698.00	1,41,698.00
09	" कल्याणपुर	शून्य	1,41,698.00	1,41,698.00
10	" कोटवा	शून्य	1,00,000.00	1,00,000.00
11	" केसरिया	शून्य	1,00,000.00	1,00,000.00
12	" अरेराज	शून्य	1,00,000.00	1,00,000.00
13	" संग्रामपुर	शून्य	1,00,000.00	1,00,000.00
14	" हरसिद्धि	शून्य	1,00,000.00	1,00,000.00
15	" राभगढवा	शून्य	1,00,000.00	1,00,000.00
		कुल -	20,00,000.00(बीस लाख)रुपये मात्र	

801-
जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक 528/आ0प्र0 दिनांक 13-12-14/

- प्रतिलिपि :- संबंधित सभी अंचल अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर/सिकरहना/पकड़ीदयाल एवं चकिया को सूचनार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- जिला प्रबंधक, आई0टी0 मोतिहारी को सूचनार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ।


जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।